बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक................ दिनांक,...................
5/ स0 अपील (गृह उद्योग) – 06/2014

प्रेषक,

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

निबंधित

सेवा में,

सर्वश्री शंकर गृह उद्योग,
प्रो0– श्री हरि शंकर सिंह,
ग्राम– बरगाही,
पोस्ट–छोटकी सासाराम, भोजपुर।

विषयः– **दायर अपीलवाद संख्या–06/2014 की सुनवाई के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री शंकर गृह उद्योग, भोजपुर बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4953 दिनांक 28/10/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/~~आई0टी0~~ मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
28/X/16

D:\drive g\OLD DATA\drive d\Appealvad 2.doc

आ दे श फ ल क
अपील संख्या 06/2014

मेसर्स शंकर गृह उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया
बनाम्
प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

यह अपील मेसर्स शंकर गृह उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया द्वारा 'बियाडा' के आदेश ज्ञापांक 8332 दिनांक 26.12.2013 जिसके द्वारा उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

2. अपीलकर्त्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें पत्रांक 7857/डी दिनांक 10.12.10 के द्वारा स्पाईस सत्तू एवं बेसन उद्योग स्थापना हेतु भू-खण्ड संख्या-ए-6(पी0) में रकवा 3000 वर्गफीट भूमि आवंटन किया गया था । अब तक तृतीय भू-किस्त की राशि जमा कर दी गई है। हिन्दु धर्म के अनुसार भादो महीना में कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है इसलिए निर्माण कार्य नवम्बर माह में शुरु किया जायेगा। लड़की की शादी में सुरक्षित पैसा खर्च होने के कारण इकाई स्थापित नहीं हो सका। आवंटित स्थल के ऊपर से विद्युत तार गुजरा है जिस वजह से मजदूर स्थल पर काम नहीं करना चाहते है। इसलिए आवंटन रद्द के आदेश को जल्द-से-जल्द वापस लिया जाय।

3. सुनवाई के समय 'बियाडा' के प्रतिनिधि ने बताया कि इकाई द्वारा अद्यतन निर्माण कार्य शुरु नहीं किए जाने पर पत्रांक 2342/डी दिनांक 27.04.12 द्वारा इकाई को कारण बताओं नोटिस दिया गया । नोटिस के आलोक में इकाई द्वारा पैसों की व्यवस्था होते ही निर्माण कार्य शुरु कर देने की बात कही गई। पुनः पत्रांक 4860/डी0 दिनांक 27.07.12 को अंतिम कारण बताओ नोटिस दिया गया। नोटिस के जवाब में सूचित किया गया कि निर्माण कार्य नवम्बर माह में शुरु करने की बात कही गई। पुनः पत्रांक 5455/डी0 दिनांक 29.07.13 द्वारा Exit policy की सूचना देते हुए अंतिम कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। क्षेत्रीय प्रभारी ने निरीक्षण में अंकित किया है कि इकाई को आवंटित प्लॉट के ऊपर से गुजर रहे विद्युत तार से वास्तविक में कोई कठिनाई है ऐसा कहना उचित नहीं प्रतीत होता है। इकाई के अनुरोध पर पत्रांक 7729/डी0 दिनांक 25.11.13 द्वारा विद्युत अधीक्षण अभियंता, साउथ बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 भोजपुर, आरा को विद्युत तार हटाने के संबंध में पत्र दिया गया। क्षेत्रीय प्रभारी के पत्र दिनांक 25.11.13 द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करते हुए सूचित किया गया कि इकाई को आवंटित भू-खण्ड खाली/परित्यक्त पड़ी हुई है एवं आवंटित भू-खण्ड को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया। क्षेत्रीय प्रभारी के अनुरोध पर आदेश ज्ञापांक 8332/डी0 दिनांक 26.12.2013 द्वारा इकाई को आवंटित भूमि रद्द कर दिया गया।

4. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इकाई को वर्ष 2010 में भू-खण्ड आवंटित किया गया था एवं अब तक तृतीय भू-किस्त की राशि जमा करने के अलावा इकाई द्वारा कोई अन्य औद्योगिक गतिविधि नहीं प्रारम्भ की गई है। इकाई द्वारा कार्य करने का कोई ठोस प्रस्ताव/कागजात भी अपीलीय प्राधिकार को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं

कि इकाई उक्त भू-खण्ड पर उद्योग नहीं लगाकर केवल उसे अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। उपर्युक्त स्थिति में इकाई को आवंटित भू-खण्ड को रद्द करने का 'बियाडा' का आदेश सही है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

(डॉ एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।